<u>न्यायालयः –श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u>

<u>आप. प्रक. क.—953 / 2015</u> संस्थित दिनांक—06.10.2015 फाईलिंग नं.—234503011122015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>अभियोजन</u>
// <u>विरुद</u> //

1.निशांत पिता स्व0 जवाहरलाल नागेन्द्र उम्र—25 साल, जाति कतिया, 2.श्रीमती सुषमा पित निशांत नागेन्द्र उम्र—22 साल, जाति कतिया, दोनों निवासी ग्राम अण्डीटोला थाना मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — <u>आरोपीगण</u>

/ <u>निर्णय</u> / / (आज दिनांक-04 / 07 / 2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 327 एवं 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उनके द्वारा दिनांक—06. 05.2016 को समय 10:30 बजे स्थान प्रार्थिया का मकान अण्डीटोला थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी श्रीमती निमता नागेन्द्र को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आरोपी निशांत द्वारा सह आरोपी सुषमा के साथ मिलकर फरियादी/आहत श्रीमती निमता नागेन्द्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत श्रीमती निमता नागेन्द्र को धारदार लोहे के चाकू से दाहिनी भुजा में मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया। आरोपी निशांत के द्वारा उक्त घटना दिनांक को फरियादी श्रीमती निमता नागेन्द्र से अवैध रूप से 9,000/— रुपये की मांग को लेकर उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा फरियादी श्रीमती निमता नागेन्द्र को आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी निमता ने दिनांक-06.05.2015 को पुलिस थाना मलाजखण्ड आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा निशान्त प्रेम विवाह करने के पश्चात् से उसके साथ ही रहता है, जो आए दिन शराब पीकर उसे परेशान करता है। दिनांक-30.04.2015 को आरोपी ने उससे 9 हजार रूपये मांगे और उसके मना करने पर उसे चाकू से दाहिने हाथ में मार दिया था। आरोपी उसे जान से माने की धमकी देता है और घर में तोड़फोड़ करता है। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर द्वारा आरोपीगण मलाजखण्ड कमांक—56 / 2015, धारा—294, 323, 327 एवं 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध धारा–324 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 327 एवं 506(भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत निमता नागेन्द्र ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506(भाग—2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34, 327 आरोपी निशांत नागेन्द्र के विरुद्ध एवं आरोपी सुषमा के विरुद्ध धारा 324/34 का अपराध शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया।
- 4— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है</u> कि:—
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—06.05.2015 को समय 10:30 बजे सह आरोपी सुषमा के साथ मिलकर फरियादिया/आहत श्रीमती नमिता नागेन्द्र

को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत श्रीमती निमता नागेन्द्र को धारदार लोहे के चाकू से दाहिनी भुजा में मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?

2. क्या आरोपी निशांत के द्वारा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमती निमता नागेन्द्र से अवैध रूप से 9,000 / — रुपये की मांग को लेकर उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष :-

- 5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी श्रीमती निमता नागेन्द्र (अ.सा. 1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी उसका पुत्र है और आरोपी सुषमा उसकी बहू है। आरोपीगण से उसका मौखिक वाद—विवाद हो गया था। आरोपीगण ने उसे गालियां दी थी, इस बात की रिपोर्ट उसने थाना मलालखण्ड में की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके बताए अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लेख नहीं किये थे।
- 6— अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक 30.04.2015 को आरोपी निशान्त ने उससे 9 हजार रूपये की मांग की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने पैसे नहीं देने पर चाकू से उसके दाहिनी भुजा में चोट पहुंचाई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में हुआ था। साक्षी का कहना है कि उसे काम करते समय चोट लगी थी। साक्षी का कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 व पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 में आरोपी निशान्त द्वारा गाली—गलौज किये जाने के विषय में ही रिपोर्ट लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पैसे की बात को लेकर आरोपीगण ने खिड़की—दरवाजे में तोड़फोड़ की थी।

- 7— प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 शमनीय प्रकृति की धारा होने से उक्त धाराओं में आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है तथा आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 एवं 327 शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है।
- 8— फरियादी निमता नागेन्द्र (अ.सा.1) ने स्वंय यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका मौखिक विवाद हुआ था। आरोपीगण द्वारा मारपीट नहीं की गई थी। आरोपी निशान्त द्वारा चाकू से मारपीट किये जाना तथा आरोपी सुषमा द्वारा चाकू से मारपीट किये जाने के अपराध में सहभागिता प्रमाणित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दू कमांक-2 का निष्कर्ण :-

9— आरोपी निशान्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—327 का अपराध किये जाने का अभियोग है। फरियादी निमता नागेन्द्र (अ.सा.1) ने यह कहा है कि विवाद के विषय में उसने प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक—30.04.2015 को आरोपी निशान्त ने उससे 9 हजार रूपये की मांग की थी और पैसे न देने पर उसने चाकू से उसकी दाहिनी भुजा पर उपहित कारित की। साक्षी ने कहा है कि इस प्रकार की रिपार्ट उसने पुलिस थाने में लेख नहीं कराई थी और न ही स्वयं इस प्रकार का कथन पुलिस को लेख कराया था। इसी प्रकार आरोपी निशान्त द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—327 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव आरोपी निशान्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—327 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

- 10— प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 11— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा–437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा एक धारदार चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / -

बैहर, दिनांक–04.07.2016 (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

TAI PAROISO SUNT